भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1784

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यापारियों के व्यवसाय को बढ़ावा

1784 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यापारियों के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किया जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उन व्यापारियों के बारे में कोई डेटा है जिनके व्यवसाय को कोविड-19 अवधि के दौरान नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख): दिनांक 2 जुलाई, 2021 से, सरकार ने खुदरा और थोक व्यवसायों को एमएसएमई के रूप में शामिल किया था। उन्हें प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है। दिनांक 30.7.2024 की स्थिति के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 2,19,38,707 व्यापारी पंजीकृत किए गए हैं जिनमें यूएपी पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारी भी शामिल हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने देश में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलें शुरू की थीं। उनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

i. एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रु. का अधीनस्थ ऋण।
ii. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण।
iii. एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी निवेश
iv. एमएसएमई के वर्गीकरण का आशोधित मानदंड।
v. व्यवसाय सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।
vi. 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 के एक भाग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई सहित व्यवसायों को अपनी प्रचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने और कोविड-19 संकट के कारण होने वाली परेशानियों के मद्देनजर व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता करना था।

आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की शोध रिपोर्ट बताती है कि लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों, जिनमें से लगभग 93.8% खाते एमएसई श्रेणियों में थे, को ईसीएलजीएस के चलते बचाया गया था।

****